HPFD-F05/136/2023-FCA-HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT

1/347825/2024

पत्र संख्या / एफ0टी०. 48—5729 / 2022 (एफ0सी०ए०) वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक:

नोड़ल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०।

प्रेषित:

उप महा निरिक्षक, वन

उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,

भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय), सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,

शिमला, हिमाचल प्रदेश-1710001

दिनांक शिमला-1

विषय:

Diversion of 2.4957 hectare of forest land in favour of Bholenath Power Construction of Company Pvt. Ltd. for the construction of 5.0 MW Pakhnoj-II SHEP within the jurisdiction of Kullu Forest Division, Distt. Kullu, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/HYD/145089/2021)

महोदय,

संदर्भ में।

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/01/160/2022दिनांक 28/07/2023 के

- 2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है:—
 - 1ण वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 - 2ण परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

3^ण प्रतिपुरक वनीकरणः

- क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर सी०ए० के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर प्रतिपूरक पौध—रोपण किया जाएगा। इसकी लागत राशि कैम्पा में जमा कर ली गई है। जंहा व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वेदशी प्रजातियों को लगाया जाएगा। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- (ख) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- (ग) वन मण्डलअधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न है।
- (घ) प्रतिपुरुक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचालित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरुक वनीकरण की लागत एव सर्वेक्षण सीमाकंन व स्तम्बन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप में जमा करा दी गई है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

4ण शुद्ध वर्तमान मूल्यः

क) भारत के माननीय उच्चतम् न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

(ख)शुद्व वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी। इस आश्य की वचन बद्धता संलग्न कर दी गई है।

- 5ण राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापर्ण पर लगाई गई रोक को आदेश दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। परन्तु माननीय उच्चतम न्यालय ने अपने इस आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि नेशनल पार्क तथा वाईलड लाईफ सेन्चुरी वन भूमि पर यह ओदश लागू नहीं होगा।
- The KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area will be uploaded in E-green watch portal before the final approval. Undertaking in this regard, it is uploaded with the compliance report of Stage-I approval by the user agency.
- The user agency has accordingly deposited the amount of SMCP in Adhoc CAMPA account.
- The copy of TEC is attached herewith. IA is under process. As and when is received the same will be processed to GoI accordingly.
- 9º FRA certificate alongwith all its enclosures is attached with the compliance report of user agency.
- The final NOC of fisheries Department is uploaded with the compliance report of UA.
- 11^ण प्रयोकता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानिय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख रेख में रोपित कर Greenery का maintain करने के लिए undertaking upload है।
- 12ण प्रस्ताव के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण प्रस्तावित वन भूमि पर 07 पेडों का कटान किया जाएगा। बचन बद्वता upload कर ली गई है।
- 13ण आस–पास के क्षेत्र व वनस्पतियों तथा जीवों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा।
- 14ण परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई—पींटल के माध्यम से क्षतिपुरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड से जमा किया गया है। प्रयोक्ता ऐजेंसी ने इस प्रस्ताव से सम्बन्धित प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण (Compensatory Afforestation) की राशी 1393613/— रु0, Contigencies Charges on CA की राशी 9680/— रु0 तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य (Net Present Value) की राशी 1334538/— रु0, तथा amount of SMCP as per plan Rs. 807430/- जो कुल 35356581/— रु0 बनती है, प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में जमा की है।
- 15ण इस प्रस्ताव के लिए पर्यावरण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 16ण केन्द्र सरकार की अनुमित प्राप्त Layout Plan नहीं बदला जायेगा जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 17ण वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा, जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 18ण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उक्त प्रस्तावना के निर्माण के लिए मजदुर नियुक्त किए जाएंगे उन्हें वन विभाग अथवा वन विकास निगम द्वारा वैकल्पिक ईधन उपलब्ध कराया जाएगा।
- 19ण संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर पिलर्स द्वारा सीमाकन किया जाएगा। बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 20ण परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निमार्ण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा जिसकी बचनबद्धता की प्रति संलग्न है।
- 21ण वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजना हेतू उपयोग नहीं किया जाएगा। जिसकी वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

HPFD-F05/136/2023-FCA-HIMACHAL PRADESH FOREST DEPARTMENT

1/347825/2024

- 22ण केन्द्र सरकार की पूर्व अनूमित के बिना प्रत्यार्वतन हेतू प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में अन्य एजेंसी, विभाग अथवा व्यक्ति को हंस्तातरित नहीं किया जायेगी। इससे सम्बन्धित वचन वद्धता की प्रति संलग्न है।
- It will be ensured adherene to stipulated E-flow as recommended by the Govt. of H.P., Hon'ble NGT, MoEF & CC, GoI and any other regulatory authority for the conservation and development of aquatic flora and fauna. An undertaking in this regard has been uploaded with the compliance report of UA.
- An undertaking in this regard is also given by the user agency and same is uploaded with the compliance report of UA as uploaded on the web portal.
- It will be ensured that user agency has complied the provisions of all rules, regulations and guidelines issued for laying transmission line in forest areas for the time being in force as applicable to the project. An undertaking in this regard, is also uploaded by the user agency please.
- Annual self compliance report in respect of above stipulation will be obtained from the user agency. UA has also given an undertaking in this regard.
- 27ण इस आश्य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
- 28ण यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि जो इस प्रस्ताव में लागु होते हो तो उनके अधिन जरुरी अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।
- 29ण इनमें से किसी भी शर्त का या वनं संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तो भारत सरकार के पत्र संख्या 11—42 / 2017—एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यावाही की जाएगा। बचनबद्वता सल्गन है।
- 30ण अनुपालना रिर्पोट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।

भवदीय,

नोड़ल आफिसर एवं अति० प्र० मुख्य अरण्यपाल (एफ०सी०ए०)हि०प्र०